

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी भावना गगी)
आर.ए.एस

प्रकरण सं./वाद पत्र/एल.आर./49/2019

1. श्री जीवन पुत्र हीरा
2. श्री सोराम पुत्र हीरा जाति गुर्जर निवासी नागोला तहसील भिनाय जिला अजमेर

(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी श्री देवकान्त व्यास

निर्णय दिनांक 05.08.2019

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा नागोला, पटवार हल्का नागोला, भूअभिलेख निरीक्षक नागोला के खसरा नं. 2147 रकबा 0.41 हैं 0 किस्म नहरी-1 व 2155 रकबा 0.32 किस्म चाही-1 जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 1 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने पर कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने जवाब पत्र प्रस्तुत न करते हुए सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया। दौराने बहस प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा नागोला, पटवार हल्का नागोला, भू अभिलेख निरीक्षक नागोला के खसरा नं. 2147 रकबा 0.41 हैं 0 किस्म नहरी-1 व 2155 रकबा 0.32 किस्म चाही-1 प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू-अभिलेख निरीक्षक-नागोला को 1,500/-रूपये (अक्षरे- एक हजार पाँच सौ रु० मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पड़ोसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(भावना गगी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भिनाय जिला अजमेर

